न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 173/2021 जिला–नागौर

मोतीदान पुत्र श्री दुर्गादान निवासी ग्राम चारणवास (हुडली) तहसील नांवा जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांवा तहसील नांवा।

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नांवा दिनांक 16–12–2020
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 82/2017 बउनवान मोतीदान बनाम
राजस्थान सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री घनश्याम सिंह चारण, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 02–05–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 217 के पूर्वी दिशा व दक्षिणी दिशा में डोट–डोट लाईन को हटाकर दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2020 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम चारणवास पटवार क्षैत्र हुडली तहसील नांवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 2.58 हैक्टर व खसरा नम्बर 217 रकबा 2.06 हैक्टर कुल रकबा 4.64 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का अपीलार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि एक ही चक में थी किन्तु बाद में उक्त खसरा नम्बरान के बीच में से चारणवास से घाटवा जाने वाला कटाणी रास्ता निकल जाने से उक्त रास्ते से पश्चिम दिशा की भूमि खसरा नम्बर 52 तथा रास्ते से पूर्व दिशा की भूमि के खसरा नम्बर 217 कायम हो गये। उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा मुकदमा नम्बर 116/09 में पारित निर्णय दिनांक 21–6–2017 के अनुसार खसरा नम्बर 217 रकबा 2.06 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 52 की 2.58 हैक्टर भूमि में से 0.26 हैक्टर कुल रकबा 2.32 हैक्टर भूमि का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। चारणवास पटवार क्षैत्र हुडली तहसील नांवा में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 217 रकबा 2.06 हैक्टर के पूर्वी दिशा व दक्षिण दिशा की सींव के सहारे कभी कोई रास्ता नहीं रहा है परन्तु नांवा तहसील में भू–प्रबन्ध पैमाईश के दौरान अपीलार्थी की अनुपस्थिति में भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलकर अपीलार्थी के पड़ौसी खातेदारान ने अपीलार्थी के खसरा नम्बर 217 की भूमि के पूर्वी दिशा की सींव के पास से डोट–डोट लाईन नक्शा ट्रेस में अंकित करवा दिया तथा भू–प्रबन्ध पैमाईश के बाद अपीलार्थी की भूमि पड़ौसियान ने अपने प्रभाव व राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी की खसरा नम्बा 217 की भूमि के दक्षिणी दिशा की सींव के पास से भी डोट–डोट लाईन नक्शा ट्रेस में अंकित करवा दिया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की खतेदारी व कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 217 की 2.06 हैक्टर भूमि के पूर्वी दिशा व दक्षिणी दिशा की सींव के पास कभी कोई रास्ता ही नहीं रहा है। इसके बाद अपीलार्थी के अर्द्धसैनिक बल में कार्यकाल के दौरान अपीलार्थी की अनुपस्थित में खातेदारी व कब्जेशुदा आराजियात खसरा नम्बर 217 के नक्शा ट्रेस में डोट–डोट लाईन इन्द्राज के आधार पर महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करने की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वार जिला कलक्टर नागौर को शिकायत करने पर उपखण्ड अधिकारी मकराना को जांच करने का आदेश दिया जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दिनांक 31–10–2012 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर उक्त ग्रेवल सड़क पश्चिम दिश में स्थित कटाणी मार्ग से ही निकाली गई है। अपीलार्थी के पड़ौसी खातेदार द्वारा अपीलार्थी की कब्जे शुदा आराजी खसरा नम्बर 217 की भूमि की पूर्वी दिशा की सींव व दक्षिणी दिशा की सींव पर डोट–डोट लाईन गलत रूप से नक्शा ट्रेस में कटाणी मार्ग कायम करवाने पर आमादा हो रहे है। इसलिए उक्त खसरा नम्बर 217 के नक्शा में डोट–डोट लाईन को हटाकर दुरूस्त किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष आवेदन किया जिसे उन्होंने बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय मौके

पर पगडंडी मार्ग चालू होने से भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा मौके की जांच कर चालू पगडंडी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व की प्रविष्ट को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि यदि किसी पक्षकार को रास्ते की आवश्यकता है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमों में रास्ता प्राप्त कर सकता है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाने के दौरान नक्शा में परिवर्तन करे क्योंकि बन्दोबस्त के दौरान राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिये गये है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार नांवा के द्वारा धारा 131 व 132 के तहत उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दोनों पक्षों की बहस समाहित करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–3–2017 द्वारा आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि उक्त प्रकरण विवादित है तथा पूर्व में भी उक्त रास्ते के संबंध में कई बार जांच हो चुकी है धारा 131 व 132 के तहत खातेदारों को सुनकर किसी प्रकार का विवाद या एतराज नहीं होने पर रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का प्रावधान है इस संबंध में पूर्व में उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मकराना से जांच करवाई थी जिसमें नरेगा कार्य गै0मु0 रास्ते के उपर ही करवाया जा रहा है तथा उक्त रास्ता मौके पर नहीं होना बताया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तावित रास्ता लोकोपयोगी नहीं होकर पगडंडिया ही है जिससे प्रस्तावित रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता विवादित है जिससे इन धाराओं के तहत रास्ता दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पूर्व में जब रास्ते के संबंध में न्यायालय द्वारा रास्ता दर्ज नहीं किये जाने बाबत आदेश हो चुका था तो डोटेड लाईन जो भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बनाई गई थी उसको निरस्त किया जाना धारा 136 में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त दस्तावेज को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2020 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते समय विवादित आराजियात के लगते पड़ौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है राजस्व मानचित्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या दुरूस्ती की जाती है तो उक्त पड़ौसी खातेदारान के हित प्रभावित होना स्वाभाविक है जिसमें मौके पर गंभीर

विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अपीलार्थी को नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन हटवाने हेतु प्रमाण साबित करने चाहिए। धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से स्वीकृति के आधार पर ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2020 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी मकराना से जांच करवाई थी जिसमें नरेगा कार्य गै0मु0 रास्ते के उपर ही करवाया जा रहा है तथा उक्त रास्ता मौके पर नहीं होना बताया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तावित रास्ता लोकोपयोगी नहीं होकर पगडंडिया ही है जिससे प्रस्तावित रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित नहीं है। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर त्रूटिपूर्ण आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम चारणवास पटवार क्षैत्र हुडली तहसील नांवा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 2.58 हैक्टर व खसरा नम्बर 217 रकबा 2.06 हैक्टर कुल रकबा 4.64 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का अपीलार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलाथी की आराजियात खसरा नम्बर 217 की भूमि के नक्शा ट्रेस में पूर्वी दिशा की सींव व दक्षिणी दिशा की सीव पर डोट–डोट लाईन स्थान से भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके की जांच कर चालू पगडंडी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से इन्द्राज कर नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग को अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात में बन्दोबस्त कार्यवाही के बाद नवीन नक्शा ट्रेस में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात है खातेदारी की आराजियात में से बिना खातेदार की सहमति के नक्शे में इन्द्राज करना उचित नहीं है। उक्त प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी मकराना से कराई गई जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि नरेगाकार्य गै.मु. रास्ते के ऊपर ही करवाया जा सकता है तथा उक्त रास्ता मौके पर नहीं होना बताया जिससे भी स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तावित रास्ता लोकोपयोगी नहीं होकर पगडंडीया रही है जिससे प्रस्तावित रास्ते को गै.मु रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता विवादित होने के आधार पर उक्त खसरा नम्बर से रास्ता दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा को आदेश पारित करने से पूर्व नक्शा ट्रेस एवं तरमीम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करने से पूर्व अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए पड़ौसी खातेदारों को सुनना एवं उनके एतराज पर गौर करना राजस्व अधिकारी के लिए नियमानुसार आवश्यक है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय मौके पर पगडन्डी मार्ग चालू होने से भू–प्रबन्ध अधकारियें द्वारा मौके की जांच कर चालू पगडंडी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से इन्द्राज किया जाना प्रतीत होना मानते हुए संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–12–2020 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2017 बउनवान मोतीदान बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की विधिवत जांच कर अपीलार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 2.58 हैक्टर व खसरा नम्बर 217 रकबा 2.06 हैक्टर कुल रकबा 4.64 के पास स्थित संबंधित भूमि के लगते हुए अन्य समस्त पड़ौसी भूमिधारकों को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर